

25/03/1988

खल 3 (1)]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 1988

469

कि संस्था से सबधित कोई अभिलेख एवं सामग्री जिस किसी के पास उपलब्ध हो सूचना-प्रकाशन के 15 पद्धति दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर, पश्चात् प्रमार्ग न सौंपने के अभियोग में सबधित के विहङ्ग मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 74 एवं 75 के अन्तर्गत वैधानिक कायांत्रिकी पंजीयन की जा सकेगी।

सूचना ग्राज दिनांक 18 फरवरी 1988 को जारी की गई।

ए. पी. पटेल,
परिसमापन।

(355)

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ज्ञावुआ
ज्ञावुआ, दिनांक 11 फरवरी 1988

क्र. 2791 परिसमापन। संपर्क।—मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कार्यालय द्वारा कारण-बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2340, दिनांक 5 नवम्बर 1986 से सिचाई सहकारी संस्था मर्यादित, देवीगढ़, पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 21 मार्च 1966 को दिया गया कि उक्त सहकारी संस्था को कारण-बताओ सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों के आधार पर वर्तों नहीं परिसमापन में लाई जावे? इसपर संस्था का उत्तर 15 दिवस में कारण-बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के दिनांक से चाहा गया था। इस कारण-बताओ सूचना-पत्र में यह भी उल्लेखित दिया गया था कि रामयावधि में उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावे गा कि उक्त सहकारी समिति को कुछ नहीं कहना है। उक्त सहकारी समिति को कारण-बताओ सूचना-पत्र प्राप्त हो चुका

है, रामयावधि समाप्त हो गई है। उक्त सहकारी समिति ने लेखी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। कारण-बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों से मैं, एम. एस. व्यास, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, ज्ञावुआ सहमत हूं एवं इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 15-6-791 आई 1511, दिनांक 27 अगस्त 1979 के अनुसार प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए मैं, एम. एस. व्यास, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, ज्ञावुआ, सिचाई सहकारी समिति मर्यादित, देवीगढ़, पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 21 मार्च 1966 को परिसमापन में लाता हूं। साथ-ही-साथ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री व्ही. एफ. रामटेके, सहकारी नियोक्ता को परिसमापक नियुक्त करता हूं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। परिसमापक संस्था का तत्काल चार्ज गहण करे। एवं आदेश दिनांक से तीन माह के अन्दर अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी 1988 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(387)

एम. एस. व्यास,
सहायक पंजीयक (प्र.)

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल

(वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17, उप-धारा (1) के खण्ड (छ.) कि शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, केन्द्रीय मण्डल के परामर्श से बोतावरण में व्याप्त वायु प्रदूषण उत्सर्जनों के मानक निर्धारित करता है:—

वायु मण्डल में वायु की गुणवत्ता के मानक

| श्रेणी | क्षेत्र | सांकेता माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | स्पेक्ट्रोड पार्टिकुलेट मेटर | सल्फरडाइ आक्साइड | कार्बन मोनो आक्साइड | नाइट्रोजन आक्साइड |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| अ. औद्योगिक एवं मिश्रित क्षेत्र | | 500 | 120 | 5000 | 120 |
| ब. आवासीय एवं ग्रामीण क्षेत्र | | 200 | 80 | 2000 | 80 |
| स. संवेदनशील क्षेत्र | | 100 | 30 | 1000 | 30 |

2. विमती उत्सर्जन के मानक

ए. सीमेन्ट

स्पेक्ट्रोड पार्टिकुलेट मीटर के सामान्य तापक्रम (250 से) पर मानक

| क्षमता | गिलीग्राम प्रति घनमीटर | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|--|
| | सुरक्षित क्षेत्र | अन्य क्षेत्र | |
| (1) | (2) | (3) | |
| 1. 200 टन प्रतिदिन या कम | 250 | 400 | |
| 2. 200 टन प्रतिदिन से अधिक | 150 | 250 | |

2. ताप विद्युत गृह
स्पेड पाटिकुलेट मेटर के मानक

| बाँयलर क्षमता | सुरक्षित क्षेत्र | अन्य क्षेत्र | | अन्य क्षेत्र |
|--|------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| | | मिलीग्राम प्रति घन मीटर | 25° से | |
| (1) | (2) | पुराना (1979 से पूर्व) | (3) | नया (1969 के पश्चात) |
| 200 मेगावाट से कम | | 15.0 | 600 | 350 |
| 200 मेगावाट या अधिक | | 15.0 | | 150 |
| (b) सलफरडाई आक्साइड को नियंत्रण हेतु मानक (चिमनी की ऊंचाई के अनुसार) | | | | |
| बाँयलर क्षमता | | चिमनी की ऊंचाई | | |
| (1) | | (2) | | |
| 200 मेगावाट से कम | | एच = 14 (वर्ष) ^{0.3} | | |
| 200 मेगावाट स्थार 500 मेगावाट के बीच | | 220 मीटर | | |
| 500 मेगावाट या अधिक | | 275 मीटर | | |
| वर्ष = सलफरडाई आक्साइड उत्सर्जन किलोग्राम प्रति घने में | | | | |
| एच = चिमनी की ऊंचाई मीटर में | | | | |
| 3. एकी छत लोहा एवं इस्पात | | | | |
| पार्टी कुलेट मेटर के मानक | | मिलीग्राम प्रति घन मीटर 25° से | | |
| (1) | | (2) | | |
| सिटरिंग संयंत्र | | 150 | | |
| कोक श्रोबन | | 150 | | |
| वात्य भट्ठी (बनास्ट फर्नेस) | | 150 | | |
| इस्पात निर्माण : सामान्य प्रक्रिया में | | 150 | | |
| आक्सीजन लेसिङ के समय | | 400 | | |
| 4. उर्वरक (यूरिया) | | | | |
| पाटिकुलेट मेटर के मानक | | | | |
| प्रक्रिया | | उत्सर्जन सीमा | | |
| | | मिलीग्राम प्रति घन मीटर में 25° से | | |
| प्रोलिंग टावर | | 50 | | |
| 5. नाइट्रिक एसिड | | | | |
| नाइट्रोजन आक्साइड के मानक | | | | |
| 3 किलोग्राम नाइट्रिक आक्साइड, ततु अम्ल के प्रति टन में (सांद्रता उत्पादन के पूर्व) | | | | |
| 6. गंधक का अम्ल (सलफयूरिक एसिड) | | | | |
| सलफरडाई आक्साइड एवं एसिड मिस्ट के मानक | | | | |
| प्रक्रिया | | सलफरडाई आक्साइड | अम्ल धुध उत्सर्जन (एसिड मिस्ट) मिलीग्राम | |
| (1) | | उत्सर्जन | मिस्ट के उत्पादन पर. | (3) |
| सिगल कांटे कट तिगल एवं सिपिशन | | 10 कि. ग्राम प्रति टन 100% | 50 | |
| डबल कांटे कट डबल एवं सिपिशन | | 4 कि. ग्रा. प्रति टन 100% | 50 | |

7. केलशियम कार्बाइड पार्टीकुलेट मेटर उत्सर्जन के मानक

स्रोत

उत्सर्जन सीमा (मिलीग्राम।घन मीटर) २५^० से.

किल्ट

250

ग्राम फर्नेस

150

8. कापर, शीशा एवं जस्ता स्मेलिंग

पार्टीकुलेट मेटर एवं गधक ग्रावसाइड के मानक

कार्बनेटर

150 मिलीग्राम।घनमीटर कणीय पदार्थों के लिये

स्मेलिंग और कर्बनेटर

निष्कासित गोसे गंधकाम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त होना चाहिये।

सल्फर डाइग्रावसाइड। सल्फर टाइग्रावसाइड का निष्कासन किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिये।

9. कार्बन ब्लेक

उत्सर्जित पार्टीकुलेट मेटर के मानक

वर्ण माध्यम (शुरू होने का वर्ष)

उत्सर्जन सीमा
मिलीग्राम।घन मीटर २५^० से.

संग्रह जिनका निर्माण एवं स्वीकृति दिनांक १ जनवरी ८५ के पश्चात् निर्मित तथा शुरू होनेवाले संयंत्र।

150

चालू संयंत्र

250 (३१ दिसम्बर ८६ तक)

(३१ दिसम्बर ८४ से पूर्व निर्मित एवं शुरू हुए संयंत्र)

150 (१ जनवरी ८७ से)

10. उत्प्रेरक (फास्फेटिक)

फ्लोरोराइड एवं पार्टीकुलेट मेटर के मानक

प्रक्रिया

उत्सर्जन सीमा (मिलीग्राम।घन मीटर) २५^० से.

फास्फेट खट्टैनों का अम्लीकरण

25 (संपूर्ण फ्लोरोराइड)

प्रेनुले थैन मिक्सिंग एवं एक ग्राइंडिंग

150 (पार्टीकुलेट मेटर प्रत्येक प्रक्रिया में)

11. प्राकृतिक तेल शोधन संयंत्र

संकर डाइग्रावसाइड के मानक

प्रक्रिया

उत्सर्जन सीमा (मिलीग्राम।घन मीटर) २५^० से.

डिस्टिलेशन (एटमासिफियरिक एवं वेक्यूम)

फीड के ०.२५ कि.ग्राम।टन

उत्प्रेरक क्रैकर

फीड के २.५ कि.ग्राम।टन

सल्फर रिफ्लॉर यूनिट

१२० कि.ग्राम।टन गंधक फीड में।

फीड से तात्पर्य उस प्रक्रिया में जिसमें फीड किया जा रहा है।

12. एल्युमीनियम

पार्टीकुलेट मेटर एवं फ्लोरोराइड के मानक

प्रक्रिया

मानक

कैल्हिसनेशन

250 मिलीग्राम।घन मीटर पार्टीकुलेट पदार्थ के।

एल्युमीनियम स्मेलिंग

1 कि.ग्रा.फ्लोरोराइड एल्युमीनियम उत्पादन को १५० मिली ग्राम।घन मीटर पार्टीकुलेट मेटर।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की घाँटा 17 उपधारा "ग" तथा "म" में दिये गये निर्देशों के अनुसार म. प्र. प्रदूषण निवारण मंडल श्रीद्वारिक दूषित जल (Industrial Waste) एवं घरेलू दूषित जल (Sewage) के नदी, नालों अथवा अन्य प्राकृतिक जल स्वेतों (Insurface Waters) में निस्त्राव हेतु अथवा मल जल (Public Sewer) अथवा कृषि कार्य के भूमि पर निस्त्राव हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित करता है :—

1. श्रीद्वारिक दूषित जल (Industrial effluent) मल (Sewage) को निस्त्राव के मानक :—

| सं. | पेरामीटर्स | अंतर्देशीय जल में | मल जल | खेती योग्य भूमि में |
|-----|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | रंग तथा गंध .. . | कृ. टीप नं. 1 देखें | .. | कृ. नोट नं. 1 देखें |
| 2. | सस्पेंडेड सालिड्स् मि. ग्रा.।लिटर | 100 | 600 | 200 |
| 3. | सस्पेंडेड सालिड्स् के कणों का आकार .. | 850 माइक्रोम आई.एस. सीव | .. | .. |
| 4. | डिजाल्व सालिड्स् (अकार्बनिक) मि.ग्रा.।लिटर | 2100 | 2100 | 2100 |
| 5. | पी. ए.च. (पी. ए.च. यूनिट) | 5. 5-9. 0 | 5. 5-9. 0 | 5. 5-9. 0 |
| 6. | तापमान नि.से. अधिकतम | दूषित जल के निस्त्राव के निचले भाग में 15 मीटर की दूरी तक किसी भी हिस्से में 40° से अधिक नहीं होना चाहिये. | निस्त्राव विन्दु पर 45° से .. | .. |
| 7. | तैल एवं ग्रीस मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम | 10 | 10 | 10 |
| 8. | टोटल रेसिड्युअल क्लोरीन मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम. | 1 | .. | .. |
| 9. | आमोनिकल नाइट्रोजन(N) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम. | 50 | 50 | .. |
| 10. | टोटल जैल्कोल नाइट्रोजन(N) मि. ग्रा.।लि. अधिकतम. | 100 | .. | .. |
| 11. | स्वतंत्र आमोनिया (Nig) मि. ग्रा.।लि. अधिकतम. | 5 | .. | .. |
| 12. | बायोकैमिकल आंक्सीजन डिमांड (5 दिन 20° से पर) मि. ग्रा.।लि. अधिकतम. | 30 | 380 (कृ. नोट 2 देखें) | 100 (कृ. नोट 3 देखें) |
| 13. | कैमिकल आंक्सीजन डिमांड मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम. | 250 | .. | .. |
| 14. | आंसैनिक (As.) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम. | 0. 2 | 0. 2 | 0. 2 |
| 15. | पर्यां (Hg.) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम | 0. 01 | 0. 01 | .. |
| 16. | लेड (Pb.) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम | 0. 1 | 1 | .. |
| 17. | कॉडिमियम (Cd.) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम | 2 | 1 | .. |
| 18. | हेवसावलेट क्रोमियम (Cr +6) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम. | 0. 1 | 2 | .. |
| 19. | टोटल क्रोमियम (Cr) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम. | 2 | 2 | .. |
| 20. | तांवा (Cu.) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम | 3 | 3 | .. |
| 21. | जस्ता (Zn.) मि. ग्रा.।लिटर अधिकतम | 5 | 10 | .. |
| 22. | सिलेनियम (Se.) मि. ग्रा.।लि. अधिकतम | 0. 05 | 0. 05 | .. |
| 23. | निकल (Ni.) मि. ग्रा.।लि. अधिकतम | 3 | 3 | .. |
| 24. | बोरोन (B) मि. ग्रा.।लि. अधिकतम | 2 | 2 | 2 |
| 25. | प्रतिशत सोडियम अधिकतम मि. ग्रा.।लि. | .. | 60 | 60 |
| 26. | रेसिड्युअल सोडियम कार्बोनेट मि. ग्रा.।लि. अधिकतम. | .. | .. | 5 |
| 27. | सायनाइड (Ch.) मि.ग्रा.।लि. अधिकतम | 0. 2 | 0. 2 | 0. 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28. | क्लोरोइड (Cl) मि.ग्रा.लि. अधिकतम | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29. | प्लीरोइड (F) मि.ग्रा.लि. अधिकतम | 2.0 | 15 | .. |
| 30. | डिसाल्व फास्फेट (P) मि.ग्रा.लि. अधिकतम | 5 | .. | .. |
| 31. | सल्फेट (SO ₄) मि.ग्रा.लि. अधिकतम .. | 1000 | 1000 | .. |
| 32. | सल्फाइड (S) मि.ग्रा.लि. अधिकतम | 2 | .. | .. |
| 33. | पेस्टीसाइड अनुपस्थित | | अनुपस्थित | अनुपस्थित |
| 34. | फिनोत्तिक कम्पाउंड्स 1 | | 5 | 1 |
| 35. | रेडियोधर्मी मटेरियल : | | | |
| (अ) | अल्फा विकिरण पिओमिलि लिटर अधिकतम. | 10 ⁷ | 10 ⁷ | 10 ⁸ |
| (ब) | बीटा विकिरण पिओमिलि लिटर अधिकतम. | 10 ⁶ | 10 ⁶ | 10 ⁷ |

- टीप.—1. रंग तथा गंध को दूर करने के सभी प्रयास किय जाने चाहिये।
 2. स्थान एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मानकों को और कठोर अथवा ढीला करने का अधिकार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्ड़ल को होगा।
 3. उपरीकृत मानक उन सभी उद्योगों के लिये लागू हैं, जिनके लिये अलग से मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

2. (अ) सिथेटिक फाइबर उद्योग से निस्सारित दूषित जल को भूमिगत बाह्य जल में निस्त्राव के मानक:—

| पैरामीटर्स : | अधिकतम मात्रा : |
|-------------------------------|-------------------------|
| पी. एच. | 5.5—9.0 (बी. एच. यूनिट) |
| सस्पेंडेड सालिड्स | 100 मि.ग्रा.लिटर |

2. (ब) सेमी-सिथेटिक फाइबर उद्योग से निस्सारित दूषित जल के भूमिगत बाह्य जल में निस्त्राव के मानक:—

| पैरामीटर्स : | अधिकतम मात्रा : |
|---|-----------------------|
| पी. एच. | 5.5—9.0 पी. एच. यूनिट |
| सस्पेंडेड सालिड्स | 100 मि.ग्रा.लिटर |
| बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड (20 ⁰ से., 5 दिन) .. | 30 मि.ग्रा.लिटर |

3. पैट्रोलियम रिफाइनरी से निस्सारित दूषित जल के भूमिगत बाह्य जल में निस्त्राव के मानक:—

| पैरामीटर्स : | अधिकतम मात्रा : |
|---|-----------------------|
| पी. एच. | 6—8.5 पी. एच. यूनिट्स |
| आइस एवं ग्रीस | 10 मि.ग्रा.लिटर |
| फिनाल | 1 मि.ग्रा.लिटर |
| सल्फाइड | 0.5 मि.ग्रा.लिटर |
| बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड (20 ⁰ से., 5 दिन) .. | 15 मि.ग्रा.लिटर |
| सस्पेंडेड सालिड्स | 20 मि.ग्रा.लिटर |

4. ताप विद्युत कारखाने से दिस्सारित दूषित जल के भूमिगत बाह्य जल में निस्त्राव के मानक:—

4. (अ) वायलर ब्लॉ डार्नन—

| पैरामीटर: | अधिकतम मात्रा : |
|-------------------------------|------------------|
| सस्पेंडेड सालिड्स | 100 मि.ग्रा.लिटर |
| आइल एवं ग्रीस | 20 मि.ग्रा.लिटर |
| तांबा (सम्पूर्ण) | 1.0 मि.ग्रा.लिटर |
| लोहा (सम्पूर्ण) | 1.0 मि.ग्रा.लिटर |

4. (ब) कण्डेन्सर कूलिंग वाटर:

| पैरामीटर : | अधिकतम मात्रा : |
|----------------------------|--|
| पी. एच. | 6.5—8.5 पी. एच. यूनिट |
| तापमान | उपयोग में लाये जानेवाले जल के तापमान से 5° से. से अधिक नहीं। |
| उपलब्ध क्लोरीन | 0.5 मि.ग्रा.लिटर |

4. (स) कूर्लिंग टावर ब्लॉ डाउन—

पैरामीटर:

| | | | |
|---------------------|----|----|------------------|
| उपलब्ध क्लोरीन | .. | .. | 0.5 मि.ग्रा.लिटर |
| जस्ता | .. | .. | 1.0 मि.ग्रा.लिटर |
| क्रोमियम (सम्पूर्ण) | .. | .. | 0.2 मि.ग्रा.लिटर |
| फास्फेट | .. | .. | 5.0 मि.ग्रा.लिटर |

4. (द) ऐश पोंड—

पैरामीटर:

| | | | |
|-------------------|----|----|-----------------------|
| पी. एच. | .. | .. | 6.5—8.5 पी. एच. यूनिट |
| सस्पेंडेड सालिङ्स | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |
| आइल एवं ग्रीस | .. | .. | 20 मि.ग्रा.लिटर |

5. चींनी उद्योग द्वारा निस्सारित दूषित जल के भूमिगत बाह्य जल में निस्त्राव के मानकः—

पैरामीटर:

| | | | |
|-----------------------------|----|----|-----------------------|
| पी. एच. | .. | .. | 6.5—8.0 पी. एच. यूनिट |
| बी. ओ. डी. (20° से., 5 दिन) | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |
| सस्पेंडेड सालिङ्स | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |

6. फर्मेण्टेशन उद्योग से निस्सारित दूषित जल को भूमिगत जल में निस्त्राव के मानकः—

6. (अ) भाल्टी—

पैरामीटर्सः

| | | | |
|-----------------------------|----|----|------------------|
| बी. ओ. डी. (20° से., 5 दिन) | .. | .. | 30 मि.ग्रा.लिटर |
| सस्पेंडेड सालिङ्स | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |

6. (ब) ब्रुअरी—

पैरामीटर्सः

| | | | |
|-----------------------------|----|----|------------------|
| बी. ओ. डी. (20° से., 5 दिन) | .. | .. | 30 मि.ग्रा.लिटर |
| सस्पेंडेड सालिङ्स | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |

6. (स) डिस्टिलरी—

पैरामीटर्सः

| | | | |
|-----------------------------|----|----|--|
| बी. ओ. डी. (20° से., 5 दिन) | .. | .. | 30 मि.ग्रा.लिटर (100 मि.ग्रा.लिटर जल उपचारित दूषित जल खेती में उपयोग करना हो). |
| सस्पेंडेड सालिङ्स | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |

7. उर्वरक उद्योग द्वारा निस्सारित दूषित जल को भूमिगत बाह्य जल में निस्त्राव के मानकः—

पैरामीटर्सः

| | | | |
|------------------------------|----|----|-------------------------|
| पी. एच. | .. | .. | 7.0—9.0 पी. एच. यूनिट्स |
| पलूराइड (फ्लूरीन) | .. | .. | 10.0 मि.ग्रा.लिटर |
| फास्फेट (फास्फोरस) | .. | .. | 5.0 मि.ग्रा.लिटर |
| क्रोमियम (क्रोमियम—सम्पूर्ण) | .. | .. | 2.0 मि.ग्रा.लिटर |
| (क्रोमियन—हैव्सावेलेट) | .. | .. | 0.1 मि.ग्रा.लिटर |
| आइल एवं ग्रीस | .. | .. | 10.0 मि.ग्रा. |
| सस्पेंडेड सालिङ्स | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |

8. कास्टिक सोडा (मरकरी सेल) उद्योग द्वारा निस्सारित दूषित जल को भूमिगत बाह्य जल में निस्त्राव के मानकः—

पैरामीटर्सः

| | | | |
|--|----|----|-------------------------|
| पी. एच. | .. | .. | 5.5—9.0 पी. एच. यूनिट्स |
| टोटल सस्पेंडेड सालिङ्स (नॉन मरक्युरिक) | .. | .. | 100 मि.ग्रा.लिटर |
| टोटल शेष क्लोरीन | .. | .. | 1.0 मि.ग्रा.लिटर |
| मरकरी | .. | .. | 0.01 मि.ग्रा.लिटर |

9. पेरस्टीसाइड एवं इन्सेक्टीसाइड कीटनाशक उच्चोग द्वारा निस्सारित दूषित जल को भूमिगत बाह्य जल में निस्ताव के मानकः—

पैरामीटर:

तापमान

पी. एच.

आइल एवं ग्रीस

आक्सीजन एवं व्यापार्शन टेस्ट (27 से. पर 4 घण्टे एसिड पोटाशियम परमेश्वरेट में).

सस्पेंडेड सालिव्स

इन्सेक्टीसाइड/पेरस्टीसाइड (सम्पूर्ण)

ओर्गानिक साल्वेट एवं कम्पाउण्ड्स (कारबन ब्लॉरोफार्म एक्सट्रैक्ट).

बायो एसे टेस्ट

अधिकतम भान्ति:

उपयोग में लाये जानेवाले जल के तापमान की अपेक्षा 5 से अधिक नहीं।

6. 5-8. 5 पी. एच. यूनिट्स

10 मि. ग्रा.लिटर

60 मि. ग्रा.लिटर

30 मि. ग्रा.लिटर

10 मि. ग्रा.लिटर

30 मि. ग्रा.लिटर

बायो एसे टेस्ट मानक आई.एस. 6582 में दिये गये अनुसार 5 घण्टों में हरेक टेस्ट स्पेसीमेन के 50 प्रतिशत जिवा रहना चाहिए (10 प्रतिशत डायल्फूशन के साथ)।

1.0 मि. ग्रा.लिटर

1.0 मि. ग्रा.लिटर

1.0 मि. ग्रा.लिटर

0.1 मि. ग्रा.लिटर

0.1 मि. ग्रा.लिटर

3.0 मि. ग्रा.लिटर

मि. ग्रा.लिटर

0.2 मि. ग्रा.लिटर

0.2 मि. ग्रा.लिटर

50 मि. ग्रा.लिटर

5 मि. ग्रा.लिटर

1000 मि. ग्रा.लिटर

टीप:—दूषित जल उपचारित संयंत्र में उत्पन्न होनेवाले स्लज को उपर्युक्त आकार के इनसिटर में जलाना होगा।

(357)

आर.के. खरे,
सदन्य सचिव,

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय नगरपालिका परिषद, गोहद, जिला भिण्ड

कैटिल ट्रेस.—पास एकट, 1871 (क्रमांक 1 सन् 1871) की धारा 5 और 12 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961, (क्रमांक 37' सन् 1961) की धारा 123 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरपालिका परिषद, गोहद, जिला नियन्त्रित नई दरें निर्धारित करती है।

जुमनि एवं खुराक की नियर्धारित नई दरें मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के तीस दिन के पश्चात् प्रभावशील होती है।

| क्र मांक | किस्म मवेशी | वर्तमान प्रचलित दरें | | | | | | संशोधित दरें | | | |
|----------------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|--|--|
| | | जुमनि | खुराक | जल | योग | जुमनि | खुराक | जल | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | रुपये | रुपये | रुपये | पये | रुपये | पदे | रुपये | रुपये | | |
| 1. हाथी, हथिनी | | 10.00 | 12.00 | 2.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | 52.00 | | |
| 2. झट, उटनी | | 4.00 | 3.75 | 0.25 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 21.00 | | |